उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी–34 /ऋण–लक्ष्य/(एल0–13)/2017–18 दिनांक– 26-7-17

समस्त शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 के शाखावार उद्देश्यवार ऋण वितरण लक्ष्य।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–03/ऋण–लक्ष्य/2017–18 दिनांक 07.04.17 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम त्रैमास के लक्ष्य निर्धारित करते हुए ऋण वितरण करने के निर्देश जारी किये गये थे।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के ऋण वितरण के वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण शाखाओं की गत 03 वर्षो के ऋण वितरण लक्ष्य, पूर्ति, नकद वसूली एवं आउटस्टैंडिंग आदि व्यवसायिक आंकड़ो को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। बैंक के व्यापक व्यवसायिक हितों, शाखाओं को स्वाश्रयी बनाने, शाखाओ के प्रबन्धकीय व्यय को दृष्टिगत रखकर एवं बैंक की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शाखाओं का न्यूनतम लक्ष्य रू0 200.00 लाख तथा अधिकतम लक्ष्य रू0 600.00 लाख के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। उक्तानुसार आंकलन से बैंक का ऋण वितरण का कुल लक्ष्य रू0 900.00 करोड़ हो गया है। इसी कम में शाखाओं के वित्तीय वर्ष 2017–18 के ऋण वितरण लक्ष्य द्वितीय त्रैमास तक कमिक 45 प्रतिशत, तृतीय त्रैमास तक कमिक 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ त्रैमास तक कमिक 100 प्रतिशत निर्धारित किये जाते है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में शाखाओं द्वारा ऋण वितरण करते समय गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

1. ऋण वितरण करते समय शाखा के निर्धारित उद्देश्यवार लक्ष्यों के अनुसार ही ऋण वितरण किया जाय। बैंक की प्रचलित विभिन्न योजनाओं में सीजनल्टी को ध्यान मे अवश्य रखा जाय।
2. शाखा के लघु सिंचाई, कृषियंत्रीकरण एवं एसआरटीओ के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक ऋण वितरण शाखा की आवश्यकतानुसार अन्य किसी उद्देश्य के लक्ष्यों से परिवर्तित करके किया जा सकता है।
3. बिन्दु–02 में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य शेष उद्देश्यों मे से यदि किसी उद्देश्य में लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण की सम्भावना हो तो उद्देश्य के लक्ष्य परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेज कर योजनाधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए ऋण वितरण किया जाएं।
4. शाखा प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेगें कि उनकी शाखान्तर्गत सभी विकास खण्डों में ऋण वितरण किया जाय।
5. शाखा प्रबन्धक शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त ऋण पत्रावलियों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत कर वितरित करेगें।
6. लघु सिंचाई योजनान्तर्गत सेमी–क्रिटिकल विकास खण्डों में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों के अधीन ही ऋण वितरण किया जाय।
7. शाखा प्रबंधक ऋण वितरण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी की पहचान प्रमाणित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र के साथ के.वाई.सी (Know your customer) के नार्म्स पूर्ण करें।